



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं. सी-सी-44/2012-एमपीलैड्स

Dated 23 मई, 2013

सेवा में,

1. आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: एमपीलैड्स के तहत प्रतिबंधित कार्यों की सूची में नालियों को शामिल करना

महोदय,

राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ 26.02.2013 को आयोजित एमपीलैड्स की समीक्षा बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि एमपीलैड्स के तहत अनुमत्य कार्यों की सूची में से नालियों, आदि को हटा दिया जाए, क्योंकि गुणात्मक तरीके से कार्यान्वित की जानेवाली ये परिसम्पत्तियां न तो स्थाई और न ही आम प्रकृति की होती हैं।

2. मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध II के क्रम सं.14 पर उल्लिखित प्रतिबंधित कार्यों की सूची में "नालियों, आदि का निर्माण" को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,
डी. साईबाबा
23/5/13

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें।